

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर
क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/25/03222 जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II सीधी भर्ती-2024 में सफल घोषित होने पर बोर्ड द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने एवं राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत विभागीय राजकाज रै. 17975489 दिनांक 17.10.2025 द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाकर 30 कार्यदिवस में कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

निम्नांकित अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु विस्तार समय की माँग किये जाने पर इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाकर इनके नाम के आगे अंकितानुसार तिथि अवधि तक कार्यग्रहण करने हेतु विस्तार समयावधि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	अभिवृद्धि तिथि
1.	329919	सुश्री नीरज	30.11.2025
2.	328465	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	30.12.2025

विभागीय राजकाज रै. 17975489 दिनांक 17.10.2025 में अंकित शर्तें यथावत् रहेगी। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसर लाल मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांक:-एफ.1(2)(03222)स्था./सान्याअवि/25/03222 जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2), शासन सचिवालय जयपुर।
- आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त।
- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, समस्त।
- अधीक्षक, राजकीय नारी निकेतन, समस्त।
- अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/शिशु गृह, बाल अधिकारिता विभाग, समस्त।
- आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

